2012/00228

निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 14/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

सरकार जरिये श्री मनीष फौजदार, तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी ढाणी नई की कोठी, पं. बगवाडा, तहसील आमेर।
2. मैसर्स बजरंग किराना स्टोर, नई की कोठी, बगवाडा, आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 1147 लीटर तथाकथित डीजल मय ड्रम, कोनिकल माप कीप इत्यादि को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 11-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.02.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण के निर्देशानुसार अवैध मिलावटी डीजल की बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ ढाणी नई की कोठी, पंचायत बगवाडा, चंदवाजी बाईपास, तहसील आमेर पर मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर की जाचं की गई। वक्त जांच मौके पर श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा की उपस्थिति में दुकान व दुकान के पिछे खेत में उसके मकान की तलाशी ली गयी तो डीजल अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। वक्त जांच दुकान पर प्लास्टिक के कटे हुये ड्रम में 150 लीटर डीजल एवं धर में 6 ड्रमों में 1000 लीटर डीजल कुल 1150 लीटर डीजल अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। दुकान मं जांच के दौरान 5 लीटर की 1 लोहे की नाप, 1 लोहे व 1 प्लास्टिक की दो कीपे जो डीजल नापकर बेचने में प्रयुक्त होती है, पायी गई। इसके अलावा दुकान में 1 लाल जिल्द शुदा डायरी पायी गई जिसमें पृष्ठ नम्बर 15, 45, 46, 47, 49 व 50 पर डीजल के अवैध क्रय–विक्रय का विवरण दर्ज पाया गया। मौके पर श्री ओमप्रकाश के पास डीजल बेचने का कोई विधिक दस्तावेज नहीं पाया गया एवं डीजल का भण्डारण भी 1000 लीटर से अधिक पाये जाने पर कुल 1150 लीटर डीजल में से 1–1 लीटर के तीन सैम्पल लिये जाकर शेष बचे 1147 लीटर डीजल मय 7 ड्रम प्लास्टिक के, 1 पांच लीटर लोहे की नाप, 2 कीप इत्यादि को राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियन्त्रण) आदेश 1990 के अन्तर्गत स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से दस्तावेजो के अतिरिक्त सुपुर्दगीनामे के अनुसार प्लास्टिक के तीन ड्रम मय 600 लीटर, दो ड्रम मय 200 लीटर, प्लास्टिक के एक कटे हुये ड्रम मय 150 लीटर, एक लोहे के ड्रम मय 200 लीटर डीजल कुल 1150 लीटर डीजल में से 1–1 लीटर के तीन सैम्पल लिये जाकर शेष 1147 लीटर डीजल तथा लोहे की

जिला कलक्टर जयपुर

कॉनिकल नाम 5 लीटर की एक, कीप लोहे की 1 तथा कीप प्लास्टिक की 1 को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः जब्तशुदा 1147 लीटर मिलावटी डीजल मय प्लास्टिक के 7 ड्रम, 1 कॉनिकल नाप, 2 कीपो को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं डीजल व पेट्रोल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त पेट्रोल व डीजल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 23.02.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि जब्त पेट्रोल व डीजल को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री मंगलचन्द शर्मा ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत पेशी पर अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ढाणी नई की कोठी, पंचायत बगवाडा, चंदवाजी बाईपास, तहसील आमेर पर मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर की जाचं की गई। वक्त जांच मौके पर श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा की उपस्थिति में दुकान व दुकान के पीछे खेत में उसके मकान की पर प्लास्टिक के कटे हुये ड्रम में 150 लीटर डीजल एवं धर में 6 ड्रमों में 1000 लीटर डीजल कुल 1150 लीटर डीजल अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। दुकान मं जांच के दौरान 5 लीटर की 1 लोहे की कीप, 1 लोहे व 1 प्लास्टिक की दो कीपे जो डीजल नापकर बेचने में प्रयुक्त होती है, पायी गई। इसके अलावा दुकान में 1 लाल जिल्द शुदा डायरी पायी गई जिसमें पृष्ठ नम्बर 15, 45, 46, 47, 49 व 50 पर डीजल के अवैध क्रय–विक्रय का विवरण दर्ज पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण के पास डीजल बेचने का कोई विधिक दस्तावेज नहीं पाया गया एवं डीजल का भण्डारण भी 1000 लीटर से अधिक पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 1147 लीटर डीजल मय 7 ड्रम प्लास्टिक के, 1 पांच लीटर लोहे की नाप, 2 कीप को कब्जे राज लिया गया। अतः जब्तशुदा 1147 लीटर डीजल मय 7 ड्रम प्लास्टिक के, 1 पांच लीटर लोहे की नाप, 2 कीप को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 16.02.2002 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. अप्रार्थी द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम उत्पादो को क्रय विक्रय करने पर ढाणी नई की कोठी, पंचायत बगवाडा, चंदवाजी बाईपास, तहसील आमेर पर मैसर्स बजरंग किराणा स्टोर की जाचं की गई। वक्त जांच मौके पर दुकान व दुकान के पिछे खेत में उसके मकान की पर प्लास्टिक के कटे हुये ड्रम में 150 लीटर डीजल एवं घर में 6 ड्रमों में 1000 लीटर डीजल कुल 1150 लीटर

डीजल अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। दुकान की जांच के दौरान 5 लीटर की 1 लोहे की नाप, 1 लोहे व 1 प्लास्टिक की दो कीपे जो डीजल नापकर बेचने में प्रयुक्त होती हैं, पायी गई। इसके अलावा दुकान में 1 लाल जिल्द शुदा डायरी पायी गई जिसमें पृष्ठ नम्बर 15, 45, 46, 47, 49 व 50 पर डीजल के अवैध क्रय–विक्रय का विवरण दर्ज पाया गया। जिससे बिना अनुज्ञापत्र क्रय विक्रय किया जाना सिद्ध होता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल व पेट्रोल का अवैध भण्डारण कर क्रय विक्रय किया गया है। जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। फलस्वरूप जब्तशुदा 1147 लीटर डीजल मय 7 ड्रम प्लास्टिक के, 1 पांच लीटर लोहे की नाप, 2 कीप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 1147 लीटर डीजल मय 7 ड्रम प्लास्टिक के, 1 पांच लीटर लोहे की नाप, 2 कीप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 23.02.2012 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर